



भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०..... 14/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
	आवेदक श्री/श्रीमती <u>चेतन सामद</u> पिता/पति <u>गोपी सामद</u> ग्राम <u>भरनियां</u> पोस्ट <u>चक्रधरपुर</u> थाना <u>चक्रधरपुर</u> जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया है कि अपनी <u>शान्ति</u> <u>प्लॉट नं० 427</u> खाता नं० <u>663</u> प्लॉट नं० <u>2404</u> रकबा <u>0.14 एड</u> क्रेता श्री/श्रीमती <u>सुश्रवा भूमिज</u> पिता/पति <u>सुश्रवा भूमिज</u> ग्राम <u>जौली</u> पोस्ट <u>चक्रधरपुर</u> थाना <u>चक्रधरपुर</u> जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतहार किया गया। अंचल अधिकारी <u>चक्रधरपुर</u> से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जाने वाली जमीन आवेदक/आवेदिका <u>चेतन सामद</u> पिता <u>गोपी सामद</u> के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास मो० <u>18000/-</u> रुपये में बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में <u>सिद्धांत तथा गोपी</u> पिता <u>पातरा</u> के नाम से दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध <u>पिता-पुत्र</u> का है। जमाबन्दी पंजी 11 में खाता रैयत <u>सिद्धांत गोपी</u> पिता <u>पातरा</u> के नाम लगान कायम है। आम इशतहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। ✓ धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" के अनुसार आवेदक विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना <u>चक्रधरपुर</u> के निवासी है तथा <u>चक्रधरपुर</u> समुदाय के सदस्य है। 46(i) प्रोभिजो "बी" के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला क्रमशः <u>चक्रधरपुर</u> एवं <u>चक्रधरपुर</u> अंचल के निवासी है तथा <u>चक्रधरपुर</u> समुदाय के सदस्य है। आवेदक उक्त वर्णित कारणों से जमीन को बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि को बिक्री के बाद जीविकोपार्जन हेतु ग्राम <u>भरनियां</u> खाता/अन्य खाता <u>663</u> प्लॉट संख्या <u>1-00</u> रकबा <u>0.14</u> अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी <u>चक्रधरपुर</u> ने अपने कार्यालय पत्रांक <u>324/000</u>	



दिनांक 19-04-17 के द्वारा उक्त भूमि का बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी चंडूबा 1251 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्ताहार प्रतिवेदन पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती गुठपा भूमिज (लौरी) पिता/पति कुजरी भूमिज ग्राम चंडूबा पोस्ट चंडूबा थाना चंडूबा जिला- प० सिंहभूम के पास में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत बिक्री द्वारा जमीन हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखांकित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर